भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं 2204
जिसका उत्तर शुक्रवार, 10 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

राजद्रोह कानून

2204. **श्री एम. बदरुद्दीन अजमल :**

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में राजद्रोह कानून को औपनिवेशिक करार दिया है और यह टिप्पणी की है कि इसका दुरुपयोग किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय ने भारत सरकार को इस कानून की आवश्यकता और वैधता पर अपना जवाब प्रस्तुत करने का निदेश दिया है क्योंकि इस कानून के दुरुपयोग के कारण कई लोगों को नुकसान हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार इस प्रावधान को समाप्त करने या संशोधित करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय/आदेश में ऐसा कोई मत नहीं पाया गया । तथापि, 2001 की रिट याचिका (दांडिक) संख्या 217 मेसर्स अमोदा ब्रांडकास्टिंग कंपनी प्राइवेट लि. और एक अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने तारीख 31.5.2021 के आदेश द्वारा पैरा (3) के अधीन, अन्य बातों के साथ यह मत व्यक्त किया है कि "भारतीय दंड संहिता, 1860 की धाराओं 124क, 153क, 505 के उपबंधों की परिधि और व्यापकता निर्वाचन की अपेक्षा करेगी, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के समाचार संसूचित करने के अधिकार के संदर्भ में और ऐसे अधिकारों के संदर्भ में जो राष्ट्र के किसी भाग में अभिभावी क्षेत्र के लिए संकटपूर्ण हो सकते हैं ।"

(ख) : भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2021 की रिट याचिका (दांडिक) संख्या 106 में किशोर चंद्र वांग्खेमचा और एक अन्य बनाम भारत संघ के मामले में 30.42021 के अपने आदेश द्वारा भारत संघ को नोटिस जारी किया जिसमें याचीगण ने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 124क को असंवैधानिक और शून्य घोषित करने के लिए एक समुचित रिट, आदेश या निदेश की प्रार्थना की है । माननीय उच्चतम न्यायालय ने मामले पर

सुनवाई करते हुए तारीख 12.7.2021 के अपने आदेश द्वारा भारत संघ की ओर मामले में लिखित निवेदन और प्रति-शपथपत्र फाइल करने के लिए समय प्रदान किया है ।

2021 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 682, एस. एस. वोमबटकेरे बनाम भारत संघ में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए तारीख 15.7.2021 के आदेश पर भारत संघ को नोटिस जारी किया है । 2021 रिट याचिका (सिविल) संख्या 682 को अन्य मामलों के साथ अंकित किया गया है उसी प्रकार से विधि के प्रश्न उठाए गए हैं और माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचार के लिए लंबित हैं ।

(ग) : गृह मंत्रालय ने यह सूचित किया है कि भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 124क को रद्द करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । इसके अतिरिक्त, धारा 124क से संबंधित विधि का प्रश्न भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष न्यायनिर्णयन के लिए लंबित है ।

****